

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गोप्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(51)का./क-1/गोप्र./2013

17 SEP 2013  
जयपुर, दिनांक

परिपत्र


राज्य सेवकों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने हेतु परिपत्र दिनांक 22.02.2013 के क्रम में  
कई विभागों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया हैं, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण उसके सामने  
अंकित है:-

क्र. सं.	बिंदु	स्पष्टीकरण
1.	लोक सेवक (राजपत्रित/अराजपत्रित) का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण होने के पश्चात विभागाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेंगे अथवा कॉडर नियन्त्रण अधिकारी की अभिरक्षा में।	कार्यमूल्यांकन अनुदेश 2008 के बिंदु सं. 5 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।
2.	संबंधित लोक सेवक को सूचित कर अवलोकन कराने हेतु आमंत्रित किये जाने पर उन्हे यात्रा भत्ता एवं उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय है अथवा नहीं।	लोक सेवक द्वारा पी.ए.आर. के अवलोकन करने पर यात्रा भत्ता एवं उपस्थिति प्रमाण-पत्र दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा। लोक सेवक एक माह के अन्दर अपना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वा आंवश्यक रूप से अवलोकन कर ले।
3.	लोक सेवक द्वारा ग्रेडिंग/टिप्पणी /मूल्यांकन में सुधार हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जावेगा अथवा कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा।	लोक सेवक से सुधार हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर इस विभाग के परिपत्र दिनांक 22.2.13 में दिये गये निर्देश के बिंदु सं. 4 के अनुसार कार्यवाही की जावें।
4.	कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में यदि प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है, तो उसका भी अवलोकन कराया जावे या प्रतिकूल प्रविष्टियों का ज्ञापन पत्र भिजायाया जाना है।	कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में यदि प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है तो उसका अवलोकन भी कराया जावे एवं उसकी सूचना लोक सेवक को लिखित में दी जावेगी।
5.	लोक सेवक (राजपत्रित/अराजपत्रित) से प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जावेगा अथवा कॉडर नियन्त्रण अधिकारी द्वारा।	लोक सेवक से प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव के माध्यम से विभाग के मासंत्रीगण द्वारा लिया जावेगा।
6.	अपीलीय बोर्ड का गठन किन के द्वारा किया जावेगा तथा किस स्तर के अधिकारी सदस्य नियुक्त होंगे।	अपीलीय बोर्ड गठन हेतु विभाग अपने स्तर पर निर्णय लेकर सदस्य नियुक्त करेंगे।

(मुकेश शर्मा)  
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मंहामहिम राज्यसभा महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अतिमुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विधायिक सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विधायिकाध्यक्ष (जिला कलकटरों सहित)।
8. प्रमाणिक सुधार (कोर्डिफिकेशन), विभाग अनुभाग-7 कमियों सहित।
9. एनोलिस्ट कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

  
(इन्द्रजीत सिंह)  
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि विनालिखित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर-पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त-सचिवालय, भास्तुरा।
6. पंजीयक राजस्थान सिंडिल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(इन्द्रजीत सिंह)  
विशेषाधिकारी